(1) (13)

न्यायालय मे श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

श्रीमति सुषमा पुत्री कौशल प्रसाद ब्रा0 पति श्री रामजी तिवारी निवासी ग्राम सूखा थाना व तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0...आवेदिका

निगरानी- 3491/2018/शहडोल/भू.रा

बनाम

1– कौशल प्रसाद पिता रामप्रसाद ब्रा0 सा0 सूखा तहसील ब्यौहारी

2– सुरेश प्रसाद पिता रामप्रसाद ब्रा0 सा0 सूखा तहसील ब्यौहारी

3– राजेन्द्र प्रसाद पिता कौशल प्रसाद सा0 सूखा तहसील ब्यौहारी

4– अर्चना पति तेजभान द्विवेदी सा0 सूखा तहसील ब्यौहारी

5– शिवम् पिता तेजभान द्विवेदी सा0 सूखा तहसील ब्यौहारी

6– सीमा पिता तेजभान द्विवेदी सा0 सूखा तहसील ब्यौहारी

7– सेजना पिता तेजभान द्विवेदी सा0 सूखा तहसील ब्यौहारी

8– रितुराज पिता तेजभान द्विवेदी सा0 सूखा तहसील ब्यौहारी

9– श्री मती शिवकुमारी पुत्री कौशल प्रसाद पत्नी रमेश कुमार ब्रा0 सा0 समान

10 पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ आशीष कुमार ब्रा0 सा0 गौबर्दै तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0...अना0गण

कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक
06/06/2016

श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक द्वारा आज दि. 6-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी–विरूध्द न्यायालय श्रीमान अपर–आयुक्त महोदय संभाग शहडोल जिला शहडोल म0प्र0 के प्र0क0–142/अपील/2016–17 पारित आदेश दिनांक <u>15/03/2018 भूमि ग्राम मुदरिया</u>
<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959</u>

मान्यवर,

विनय पूर्वक प्रार्थिया/आवेदिका की ओर प्रस्तुत निगरानी के आधार निम्नलिखित है–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ब्यौहारी के राजस्व प्रकरण क0 101/अपील/अ–27/2014–15 पारित आदेश दिनांक 31/03/2017 की अपील न्यायालय श्रीमान अपर–आयुक्त महोदय संभाग शहडोल के समक्ष अना0/अपीलार्थीगणो द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमे प्रार्थिया को 17 अक्टूबर 2017 को उपस्थित होकर अपना जबाव–पक्ष प्रस्तुत करने के लिये नोटिस प्राप्त हुई थी। नियत दिनांक मे प्रार्थीया जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई थी, किन्तु उसे अपील मेमो की प्रति व दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया और प्रकरण तर्क हेतु नियत किया जाकर एक

सुषमा तिवारी

(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

3491/2018 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-~~349/2018~~/शहडोल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-2018	आवेदक की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 15-03-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 13-12-2014 को लोक अदालत के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है । तहसील न्यायालय में दिनांक 11-03-2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और प्रकरण तलबी के लिए नियत था तथा दिनांक 30-05-2014 को स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने पर प्रकरण 3 माह के लिए स्थगित किया गया था । सिविल न्यायालय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने से प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया एवं दिनांक 25-09-2014 को अनावेदकगण की अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 21-11-2014 को प्रकरण पुन: तर्क हेतु नियत किया गया । दिनांक 09-12-2014 एवं 12-12-2014 की आदेश पत्रिका प्रवाचक द्वारा लिखी गई तथा दिनांक 13-12-2014 को लोक अदालत लिखते हुए बंटवारा आदेश पारित किया गया, जबकि प्रकरण में लोक अदालत की कोई नोटिस एवं सहमति के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है । संहिता की धारा 178 क के अंतर्गत पिता अपने जीवनकाल में अपने पुत्र-पुत्रियों के मध्य विभाजन कर सकता है, किन्तु पुत्र-पुत्रियां पिता के जीवनकाल में विभाजन की मांग नहीं कर सकती है । पैत्रिक संपति के संबंध में उन्हें सिविलवाद प्रस्तुत करना अनिवार्य है । तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गलत निष्कर्ष निकाल कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	